

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ.1 (28) एम.ई./ग्रुप-1/12/

जयपुर, दिनांक: 23/6/2016

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, नेत्र रोग के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू0 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20,200/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	डॉ. सोनल कालिया, 122/43, विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर	एम-01	21.09.1984	GE,WE, DV	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2	डॉ. सारिका दुबे, डी-101, पर्लग्रिन एकर सोसायटी, गोपालपुरा बाईपास, गुर्जर की थड़ी, जयपुर	एम-02	04.08.1981	GE,WE	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
3	डॉ. राजेश कुमार सैनी, 13/80, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर	एम-03	05.09.1985	BC	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
4	डॉ. माया हाडा, रोड़ नम्बर-2, मान नगर, झूझून्	एम-04	04.07.1984	GE,WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
5	डॉ. खुशबू जिन्दल, डी-52, गोविन्दपुरी-डी, चम्बल पावर ग्रिड के पीछे, हवा सड़क, जयपुर	एम-05	07.09.1984	GE,WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
6	डॉ. मन्जू गजराज, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शिवसिंहपुरा, सीकर एवं चिड़ावा, झूझून्	एम-06	02.12.1984	BC,WE	मेडिकल कॉलेज, कोटा
7	डॉ. महिमा पंवार, प्लेट नम्बर-611, मंगलम मैट्रोपॉलिस अपार्टमेन्ट, पुरानी चुंगी के पास, अजमेर रोड़, जयपुर	एम-07	02.12.1982	BC,WE	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
8	डॉ0 रमेश कुमार, 83, महावीर नगर-11, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर एवं रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर	एम-08	05.07.1982	SC	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन के अध्यक्षीन रहेगी यदि पुलिस सत्यापन में कोई भी विपरीत टिप्पणी प्राप्त हुई तो उक्त नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आदेश से,


(डी. एल. तंवर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7 (32)भर्ती/गोपनीय/2013-14/07 दिनांक 01.04.2016 के सन्दर्भ में।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव